

ग्राम पंचायत साडल, विकास खण्ड भटियात, तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश के
लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि:-01-04-2014 से 31-03-2017

भाग-एक

1. प्रस्तावना{क):-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत साडल, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 1/4/14 से 31/3/17 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री कुलदीप सिंह	23-01-2011 से 22-01-16
2.	श्रीमति वीना देवी	23-01-16 से लगातार

सचिव :

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री गिरधारी लाल	30-10-09 से 25-08-2015
2.	श्री रविन्द्र कुमार	26-08-15 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {रुलाखों में }
1.	4.2	रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करने के कारण अन्तर	2.66
2.	8	शराब बिक्रीकर की वसूली न करना	विवरणानुसार
3.	9	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.19
4.	10	अनुदान राशियों का अवरोधन	15.86
5.	11	प्राकलन व माप पुस्तिका को प्रस्तुत न करना	विवरणानुसार

6.	12	औपचारिकता को पूर्ण किए बिना खरीद करने बारे	0.35
7.	13	निर्माण सामग्री का स्टॉक प्रविष्टि न करने बारे	9.93

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत साडल, विकास खण्ड भटियात, तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा के अवधि 01/4/2014 से 31/03 /2017 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) व प्रीतम चन्द, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 20-10-2017 से 24 -10-2017 तक के दौरान पंचायत कार्यालय साडल में किया गया। आय कि विस्तृत जाँच के लिए माह 09 /14, 09/15 व 09/16 तथा व्यय की विस्तृत जाच के लिए माह 12/14, 05/15 व 08/16 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा। अंकेक्षण का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक सीमित है।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत साडल, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:237 दिनांक 24-10-17 द्वारा सचिव, पंचायत साडल से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत साडल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{1}स्व स्रोत :- ग्राम पंचायत साडल के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक स्व स्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	122875	35848	158723	14911	143812
2015-16	143812	15265	159077	18459	140618
2016-17	140618	8978	149596	12435	137161

{2}अनुदान :-ग्राम पंचायत साडल के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है ,जिसका विस्तृत विवरण सलग परिशिष्ट -1 में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	507611	2217002	2724613	2049763	674850
2015-16	674850	1106180	1781030	1379178	401852
2016-17	401852	3626855	4028707	2442617	1586090

31-3-17 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता खाता सं	राशि
1.	HPSCB chowari	18010105561	482834
2.	----do-----	18010110556	863286
3.	PNB Raipur	18010111239	111216
TOTAL			₹1457336

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क)दिनांक 31-3-17 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹1457336

(ख)दिनांक 31-3-17 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (क+ख):- ₹1723251

अन्तर:- ₹265915

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करने के कारण ₹2.66 लाख का अन्तर :-

ग्राम पंचायत साडल की रोकड़ वहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि० प्र० पंचायती राज { वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-3-17 को पैरा 4.1 के अनुसार रोकड़ वही व बैंक खातों के अन्त शेष में ₹265915 का अन्तर था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5. योजना/कार्यक्रम के अनुसार अनुदानों के अलग-अलग बैंक खाते न खोलने बारे :-

अतिरिक्त सचिव (पंचायती राज) के पत्र सं : PCH-HA(5)C(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15-02-12 के अनुसार प्रत्येक योजना/कार्यक्रम के लिए अलग-अलग बैंक खाता खोलना अपेक्षित था परन्तु जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है जो कि उचित नहीं था व प्रत्येक योजना/कार्यक्रम की ही वित्तीय स्थिति दर्शाने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। अतः योजना के अनुसार बैंक खातों को न खोलने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक योजना के अनुसार बैंक खाता खोलना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6. वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को तैयार न करने बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज { वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार एक भाग आय तथा दूसरा भाग व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी समय

की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाये।

7. नकद से ₹3280 व्यय करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि माह 09/14 में ₹20354 का गृह कर पंचायत द्वारा वसूला गया जिसमे से ₹1190 को नकद रूप से पंचायत सचिव को यात्रा भत्ते के लिए व ₹2090 जलपान हेतु नकद भुगतान कर दिया गया जिससे स्पष्ट है कि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 49 (1) अनुपालना पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है जोकि अनुचित है अतः औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

8. शराब बिक्री से प्राप्त कर की वसूली न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक का शराब बिक्री से प्राप्त कर की राशि नहीं वसूली गई है जबकि सचिव व प्रधान द्वारा चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया कि उक्त पंचायत में शराब का ठेका भी है। अतः उक्त मामले को सम्बन्धित विभाग के समक्ष ला कर बकाया राशि को शीघ्र वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए व भविष्य में भी इस प्रकार की त्रुटी न दोहराई जाये।

9. पंचायत राजस्व की ₹0.19 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-17 तक पंचायत के राजस्व ₹19400 की वसूली शेष थी। इस राशि को शीघ्र अति शीघ्र वसूल कर स्व स्त्रोत निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

गृहकर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्रति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	16000	9525	25525	25525	0
2015-16	0	9625	9625	0	9625
2016-17	9625	9775	19400	0	19400

10. अनुदान ₹15.86 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना {परिशिष्ट-1} के अनुसार दिनांक 31-03-17 तक अनुदान ₹1586090 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत साडल को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11. निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, व माप पुस्तिका प्रस्तुत न करने बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार 50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से चयनित माह के सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा करवाए निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना सं 239 दिनांक 24-10-17 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को अवगत करवा दिया गया है। अतः निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.35 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-2 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹3500 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत साडल को अवगत करवाया गया। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. क्रय की गई ₹9.93 लाख निर्माण सामग्री का भण्डार रजिस्ट्रों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा न प्रस्तुत करना:-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना अपेक्षित था। परन्तु पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-3 के अनुसार ₹993321 की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है जोकि एक गम्भीर मामला है। अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत साडल को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। बिना स्टॉक प्रविष्टि के अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त के सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाई जाए अन्यथा राशि की वसूली उतरदायी से करके पंचायत निधि में जमा की जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14. विहित रजिस्ट्रों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत साडल को अवगत करवाया गया।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1.	मोबाइल टावर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
5.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6.	रसीद बुक रजिस्टर
7.	खाताबही

15. प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16. विविध अनियमितताएं:-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

17. लघु-आपति विवरणिका:-लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है ।
18. निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता / -
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(7)15 / 2017 खण्ड-1-1579-1582 दिनांक
01.03.2018 शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 जिला पंचायत अधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0
- 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा हि0प्र0
- पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत साडल, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / -
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881